अध्याय - 14

नागरिकों के संवैधानिक अधिकार एवं कर्त्तव्य

हम पढ़ेंगे

14.1 मौलिक अधिकार का अर्थ एवं महत्व
14.2 संविधान द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकार
14.3 राज्य के नीति निदेशक तत्व
14.4 मौलिक अधिकार एवं नीति निदेशक तत्वों में अन्तर
14.5 मौलिक कर्त्तव्यों से आशय व मौलिक कर्त्तव्य
14.6 नागरिकों को प्राप्त कानूनी अधिकार
- सम्पत्ति का अधिकार
- सूचना का अधिकार

14.1 मौलिक अधिकार अर्थ एवं महत्व

भारतीय संविधान कुल 22 भागों में विभाजित है इसके भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में नीति निदेशक तत्व और बाद में जोड़े गए भाग 4 (क) में मूल कर्त्तव्य वर्णित हैं। वास्तव में ये एक ही व्यवस्था के अंग हैं। यह संविधान में घोषित उद्देश्यों: न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बन्धुत्व आदि को व्यवहार में स्थापित करने का प्रयास है। ये भारत में लागू की गई प्रजातांत्रिक जीवन पद्धति की नींव तथा उसके आवश्यक अंग हैं। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ है जो व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिये आवश्यक होती है। लोकतांत्रिक समाज में नागरिकों को स्वतंत्र जीवन जीने के लिये कुछ अधिकारों की आवश्यकता होती है। ये उनकी मूल आवश्यकताओं एवं व्यक्ति की गरिमा से जुड़े होते हैं। इस कारण हम इन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। इन्हें समाज मान्य करता है क्योंकि ये सभी के लिये आवश्यक है। ये राज्य द्वारा स्वीकृत होते है, ताकि राज्य शक्ति का इनके पीछे आधार हो। इनका उल्लंघन होने पर वे न्यायालय के माध्यम से पुन: प्राप्त किए जा सकते हैं। अर्थात राज्य, शासन अथवा उसके अधीन कार्य करने वाले अधिकारियों की मनमानी कार्यवाहियों पर रोक के रूप में मौलिक अधिकार हैं। ये अधिकार संविधान द्वारा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सांस्कृतिक तथा सर्वोन्मुखी विकास के लिये प्रदान किये जाते हैं। इन अधिकारों का उपयोग कर नागरिक अपना विकास करते हैं।

अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास एवं गरिमा के लिये आवश्यक है जिन्हें देश के संविधान में अंकित किया गया हैं और सर्वोच्च न्यायालय जिनकी सुरक्षा करता है, मौलिक अधिकार कहलाते हैं।

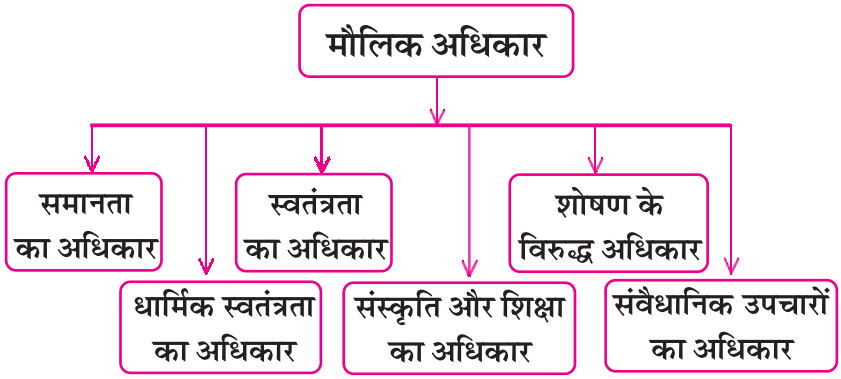

14.2 संविधान द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकार

हमें संविधान द्वारा 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं–

1. समानता का अधिकार

हमें निम्नलिखित समानता के अधिकार प्राप्त हैं–

(i) विधि के समक्ष समानता : संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा प्रत्येक नागरिक को विधि के समक्ष समानता और संरक्षण प्राप्त है। कानून सर्वोपरि है कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, एक–सा अपराध करने पर सभी समान दण्ड के भागीदार होंगे, चाहे उनका पद या स्थिति कैसी भी हो । इसका उद्देश्य विधायिकाओं एवं कार्यपालिकाओं की निरंकुशता को रोकना है।

अनुच्छेद 15 में स्पष्ट किया गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य, नागरिकों के साथ काई भेदभाव नहीं करेगा। दुकानों, सार्वजनिक स्थानों, भोजनालयों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, उपर्युक्त आधारों पर रोका नहीं जा सकता। जनसाधारण के उपयोग हेतु निर्मित कुओं, तालाबों, स्नानघरों, सड़कों, मेलों आदि के उपयोग में किसी प्रकार का भेदभाव व्यक्तियों या राज्य द्वारा नहीं किया जा सकेगा। महिलाओं, बच्चों, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिये विशेष प्रावधान करने का अधिकार राज्य को होगा। ऐसे प्रावधान समता विरोधी नहीं माने जावेंगे।

(ii) सरकारी पदों की प्राप्ति के अवसरों में समानता : संविधान के अनुच्छेद 16 में यह प्रावधान है कि नागरिक देश के किसी भी हिस्से में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। राज्य नागरिकों को उनकी योग्यता के अनुसार अवसर उपलब्ध करायेगा। इस कार्य में धर्म, जाति, लिंग, वंश तथा जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जायेगा। इस संबंध में राजकीय सेवाओं के लिये आवश्यक योग्यता निर्धारित करने का अधिकार राज्य को होगा। राज्य के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्गों का समुचित अनुपात न होने से राज्य के अधीन सेवाओं में उनके लिए आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 16 (4) के अनुसार राज्य द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा। संविधान के 77वें संशोधन से राज्य पदोन्नति हेतु भी आरक्षण कर सकेगा।

(iii) अस्पृश्यता की समाप्ति : संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा नागरिकों में सामाजिक समानता लाने के लिए अस्पृश्यता/छुआछूत के आचरण का निषेध किया गया है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 द्वारा राज्य अथवा नागरिकों द्वारा किसी भी रूप में अस्पृश्यता का व्यवहार अपराध माना गया हैं। इसके लिए दण्ड की व्यवस्था की गई है। अत: किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक संस्थाओं, स्थलों, धार्मिक क्षेत्रों आदि में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। किसी को भी जाति या अन्य किसी आधार पर अपमानित नहीं किया जा सकता।

संविधान में अस्पृश्यता का किसी भी रूप में व्यवहार दण्डनीय अपराध है।

(iv) उपाधियों का अन्त : ब्रिटिश शासन काल में नागरिकों को रायबहादुर, खान बहादुर तथा सर जैसी उपाधियाँ दी जाती थीं। ये समानता और एकता में बाधा डालती थीं, ऊँच–नीच की भावना को बढ़ाती थीं। इस कारण संविधान के लागू होते ही इन उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। अब केवल सेना, शिक्षा एवं विज्ञान संबंधी विशिष्ट सम्मान तथा भारत के राष्ट्रपति द्वारा सराहनीय कार्यों/सेवाओं के लिये दी जाने वाली असैनिक उपधियाँ जैसे भारत रत्न, पद्मविभूषण, पद्मश्री आदि इसके अपवाद हैं।

2. स्वतंत्रता का अधिकार

संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इससे उन्हें विचारों की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यह उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। हमें निम्नलिखित स्वतंत्रताएँ प्राप्त हैं:

(I) भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता : भारत के सभी नागरिकों को अपने विचार अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। भाषण इसका सशक्त साधन है। समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, चित्रण आदि के द्वारा वे अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने विचार देश की सम्प्रभूता, अखण्डता, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार, विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंध, न्यायालय का सम्मान आदि को ध्यान में रखकर ही कर सकता है। राज्य द्वारा उपर्युक्त आधारों पर भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित सीमाएँ लगाई जा सकती है।

(II) अस्त्र-शस्त्र के बिना शान्तिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता : इस अधिकार के तहत नागरिकों को सभा, जुलूस, प्रदर्शन आदि हेतु एकत्रित होने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इस तरह के कार्यक्रम शन्तिपूर्ण और अस्त्र-शस्त्र के बिना होने चाहिये। नागरिकों को दी गई इस स्वतंत्रता पर आवश्यकतानुसार सरकार देश की संप्रभुता एवं अखण्डता, सार्वजनिक सुरक्षा आदि को ध्यान में रखकर प्रतिबंन्ध लगा सकती है।

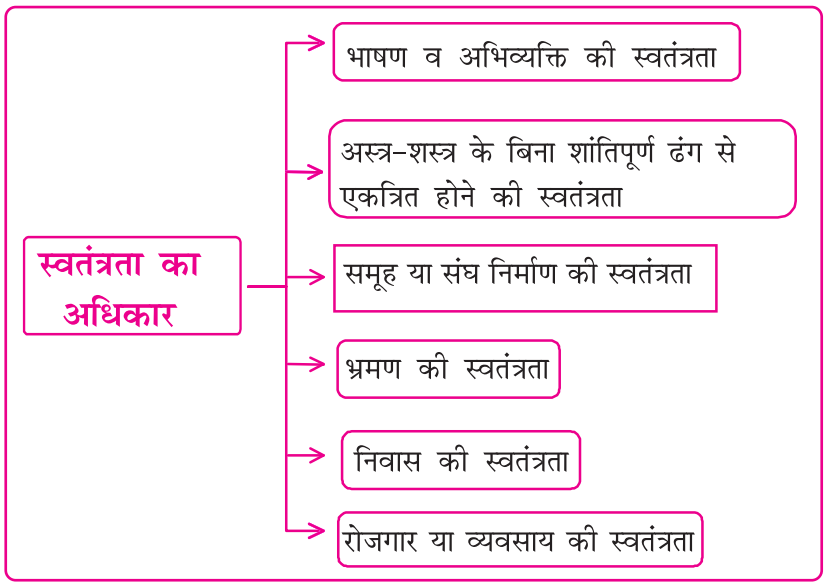

(III) समूह या संघ निर्माण की स्वतंत्रता : मानव के सामाजिक प्राणी होने के नाते सामूहिक जीवन उसका स्वभाव व विकास की आवश्यकता भी है। संघ एक से उद्देश्य की पूर्ति के लिए एकत्रित व संगठित व्यक्तियों के समूह को कहते हैं। संविधान में नागरिकों को अपनी इच्छानुसार संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। ये संघ व्यावसायिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या अन्य साझेदारी, क्लब, मजदूर संगठन आदि हो सकते हैं। इन पर भी भारत की संप्रभुता, अखण्डता और लोक व्यवस्था, सदाचार आदि को ध्यान में रखकर राज्य द्वारा प्रतिबन्ध लगाए जा सकते हैं।

(IV) अबाध संचरण (आने-जाने) की स्वतंत्रता : भारत एक विशाल देश है इसमें अलग-2 जाति व धर्मों के लोग रहते हैं। देश की सीमा में नागरिकों को बिना किसी बाधा के कहीं भी आने जाने का अधिकार है। बिना रोक टोक के पूरे भारत में सभी नागरिक आ-जा सकते हैं।

(V) भारत में कहीं भी निवास की स्वतंत्रता : भारत के नागरिक देश के किसी भी भाग में रह सकते हैं। कहीं भी अपना निवास बना सकते हैं। राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता की दृष्टि से यह आवश्यक माना गया है। अतः एक प्रान्त और भाषा के लोग देश के अन्य किसी भाग में एवं अन्य भाषा भाषियों के बीच रह रहे हैं।

भारत में कहीं भी आने-जाने एवं निवास करने की स्वतंत्रता के अधिकार आपस में जुड़े है एवं भारत के राज्य क्षेत्र की अखण्डता पर बल देते हैं। जनसाधारण के हितों एवं जनजातियों की संस्कृति, (रीतिरिवाज) तथा भाषा की सुरक्षा हेतु इन स्वतंत्रताओं पर राज्य उचित प्रतिबंध लगा सकता है।

(VI) रोजगार या व्यवसाय की स्वतंत्रता : भारत का कोई भी नागरिक अपनी इच्छा से कोई भी वैध उपजीविका का साधन, व्यापार या व्यवसाय चुन सकता है। व्यवसाय चुनने के साथ ही नागरिक को अपनी इच्छानुसार उसे बंद करने का भी अधिकार है। अर्थात किसी भी नागरिक को उसकी इच्छा के विपरीत कोई

व्यवसाय करने को बाध्य नहीं किया जा सकता। विशेष व्यवसायों के लिए विशेष शैक्षणिक व तकनीकी योग्यताएँ राज्य निर्धारित कर सकता है। जनहित विरोधी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उदाहरणार्थ खतरनाक या नशीली वस्तुओं का व्यापार, मिलावटी पदार्थों या महिला-बच्चों का व्यापार आदि वर्णित है।

अपराध के लिये दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण : अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध करते समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। साथ ही वह उस समय किए हुए अपराध हेतु निर्धारित दण्ड का ही भागी होगा। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिये एक बार ही दण्डित किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकेगा।

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण : अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा, उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन एवं प्राणों की रक्षा के साथ मानवीय गरिमा के साथ जीवित रहने का अधिकार है। इसमें सम्मानजनक आजीविका का अवसर एवं बंधुआ मजदूरी से मुक्ति भी सम्मिलित है। परन्तु कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता है।

गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण : संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार व्यक्ति को गिरफ्तारी निवारण से सम्बधित कुछ अधिकार दिये गये हैं :

- किसी भी व्यक्ति को उसके अपराध के विषय में बताए बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
- आरोपी को अपने बचाव के लिए वकील से सलाह लेने से वंचित नहीं किया जा सकता ।
- न्यायालय की आज्ञा के बिना दोषी को 24 घण्टों से अधिक बंदी बनाकर नहीं रखा जा सकता

अर्थात 24 घण्टों के अन्दर निकटतम न्यायालय के सामने दोषी को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

निवारक नजरबंदी : यह किसी व्यक्ति द्वारा किए जा रहे गैर कानूनी कार्य को रोकने के लिए की जा सकती है। व्यक्ति जो देश की सुरक्षा, शांति और सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने का प्रयत्न करते हैं उन्हें गिरफ्तार कर कुछ समय के लिए नजरबंद रखा जा सकता है। यह अवधि तीन माह से अधिक नहीं हो सकती। ऐसे मामले में निरुद्ध व्यक्ति को कारण बताना होगा एवं उसे अपने पक्ष में अभ्यावेदन देने का अवसर भी देना होगा।

स्वतंत्रता के अधिकार का स्थगन

अनुच्छेद 19 में दिए गए स्वतंत्रता के अधिकार बाहरी आक्रमण या आंतरिक शांति भंग होने की स्थिति में राष्ट्रपति के आदेश से स्थगित किए जा सकते हैं परन्तु इसमें अनुच्छेद 20 एवं 21 के स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार स्थगित नहीं होते।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार

अनुच्छेद 23 एवं 24 में मनुष्यों का अवैध व्यापार, बेगार, बलात् श्रम, एवं 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों एवं अन्य खतरों के स्थानों में नियोजन (नियुक्ति) आदि पर पाबंदी तथा उनके शोषण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि, कोई व्यक्ति अथवा राज्य किसी अन्य व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए विवश नहीं कर सकता है। लोक व्यवस्था हेतु अनिवार्य सेवा राज्य आरोपित कर सकता है, जैसे सैनिक सेवा आदि।

4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

भारतीय गणराज्य को पंथनिरपेक्ष घोषित किया गया है। यह धर्म विहीन या धर्म विरोधी नहीं है। इसका

अर्थ है कि राज्य में सभी धर्मों को समान आदर व संरक्षण प्राप्त है। धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की पूर्ण एवं समान स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रताओं की व्याख्या करते हैं।

(i) अंत:करण और धर्म की स्वतंत्रता : सभी व्यक्तियों को नागरिकों के साथ ही अपने अंत:करण के अनुसार किसी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने का हक है। यह स्वतंत्रता भी लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ के अधीन है। राज्य धर्म से संबंधित लौकिक गतिविधि के संचालन के नियम बना सकता है।

(ii) धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता : सभी धार्मिक संप्रदायों को अधिकार है कि वे धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और उनका पोषण कर सकते हैं। उनके लिए संपत्ति अर्जित कर सकते हैं एवं उसका प्रबंधन कर सकते हैं। यह सब कानून के अनुसार होना चाहिए।

(iii) किसी विशेष धर्म के पोषण हेतु कर नहीं लगाया जा सकता है।

(iv) राज्य निधि से सहयोग प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर पाबंदी होगी। अन्य संस्थाओं के मामलों में व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की बाध्यता नहीं होगी।

5. संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार

भारत के सभी नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 द्वारा संस्कृति व शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था है:-

(i) भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार है। किसी शिक्षण संस्था को सहायता देते समय राज्य, धर्म, जाति, लिंग, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इन आधारों पर कोई शिक्षण संस्था किसी को प्रवेश देने से मना नहीं कर सकती।

(ii) धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाएँ स्थापित करने व उनके संचालन का अधिकार है। वे उसका प्रबंधन भी कर सकेंगे। लेकिन कुप्रबंधन की स्थिति में राज्य को हस्तक्षेप का अधिकार होगा।

6. संवैधानिक उपचारों के अधिकार

संविधान के अनुच्छेद 32 से 35 तक मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिये संविधान में प्रबंध किये गये हैं। राज्य द्वारा ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों के संरक्षण के लिये न्यायालय में जा सकता है। न्यायालय ऐसे कानूनों को रद्द कर सकता है, जो मौलिक अधिकारों की अवहेलना करते हैं। इस तरह मूल अधिकारों को लागू कराने की संविधान में समुचित व्यवस्था भी है। इस हेतु न्यायालय पाँच प्रकार के लेख (रिट्) जारी कर सकते हैं।

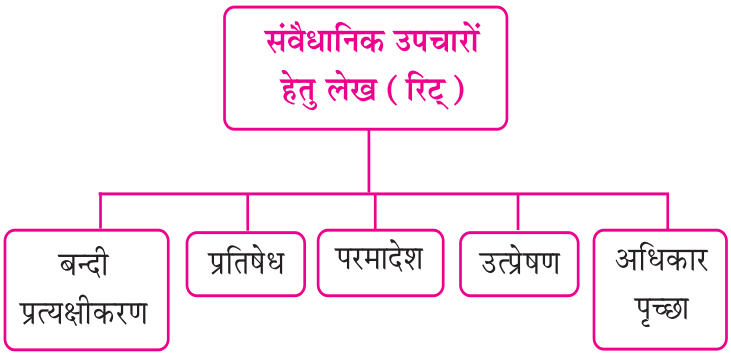

न्यायालय संबंधी रिट

(i) बन्दी प्रत्यक्षीकरण- बंदी बनाए गए व्यक्ति को सशरीर सामने प्रस्तुत करने का आदेश न्यायालय, संबंधित अधिकारी

को देता है।

(ii) परमादेश- न्यायालय, किसी अधिकारी या संस्था को उसके कानून द्वारा तय सार्वजनिक कर्त्तव्य के पालन के लिए आदेश जारी करता है।

(iii) प्रतिषेध- उच्च न्यायालयों द्वारा छोटे न्यायालयों को उस समय दिया जाता है जब वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हों ये लेख मंत्रियों अधिकारियों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है।

(iv) उत्प्रेषण- का लेख उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या प्राधिकरण को उसमें चल रहे मामलों के अभिलेखों की जाँच हेतु भेजने के लिए देता है।

(v) अधिकार पृच्छा- यह लेख तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति/अधिकारी या संस्था ऐसा कार्य करते हैं जिसका उसे कानूनी दृष्टि से करने का कोई अधिकार नहीं है।

ये सभी लेख मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध जारी किये जाते हैं।

14.3 राज्य के नीति निदेशक तत्व

भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्रदान करने के लिये नीति निदेशक सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है। नीति निदेशक तत्व संविधान निर्माताओं द्वारा केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों को नीतियों के निर्धारण के लिये दिये गये दिशा-निर्देश हैं। ये शासन प्रशासन के समस्त अधिकारियों हेतु व्यवहार के मार्ग दर्शक सिद्धांत भी है। इनके अनुसार ही सभी कार्य संपन्न हों यह अपेक्षा की गई है, परन्तु इनके अनुसार कार्य न होने पर नागरिक न्यायालय में अपील नहीं कर सकते, जैसा वह मौलिक अधिकारों के सन्दर्भ में कर सकते हैं। नीति निदेशक तत्व राज्य के कर्त्तव्य माने गये हैं। ये भारतीय संविधान की विशेषता है तथा समाजवादी और उदारवादी सिद्धांतों को ध्यान में रखकर जोड़े गये हैं।

नीति निदेशक तत्व भारत में सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति को साकार करने का सपना है। इनका उद्देश्य आम आदमी की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना और समाज के ढांचे को बदलकर भारतीय जनता को सही अर्थों में समान एवं स्वतंत्र बनाना है। ये संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है। इनका उद्देश्य भारत को-

(1) कल्याणकारी राज्य में बदलना।

(2) गाँधीजी के विचारों के अनुकूल बनाना।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय शांति के पोषक राज्य के रूप में विकसित करना।

(1) कल्याणकारी व्यवस्था :

(i) महिला व पुरुषों को जीविका के समान साधन उपलब्ध कराना।

(iii) देश के संसाधनों का प्रयोग लोक कल्याण के लिए हो।

(iii) धन और उत्पादन के साधन कुछ लोगों के हाथ में न हों, वरन् उनका उपयोग व्यापक जनहित में हो।

(iv) महिलाओं व पुरुषों को समान कार्य के लिये समान वेतन हो और उनके तथा बच्चों के स्वास्थ व शक्ति का दुरुपयोग न हो।

(v) बच्चों और नवयुवकों की आर्थिक एवं नैतिक पतन से रक्षा हो।

(vi) सभी को रोजगार और शिक्षा मिले, बेकारी एवं असमर्थता में राज्य सहायता करें।

(vii) कार्यस्थल, लोगों हेतु न्यायपूर्ण दशाओं की व्यवस्था करें।

(viii) सभी को गरिमामय जीवन स्तर, पर्याप्त अवकाश एवं सामाजिक सांस्कृतिक सुविधाएँ प्राप्त हों, सभी के भोजन एवं स्वास्थ के स्तर में सुधार हो।

(ix) बच्चों के लिये अनिवार्य नि:शुल्क शिक्षा का प्रबंध हो। 86 वे संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों हेतु शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना।

(2) गाँधीजी के विचारों के अनुकूल निदेशक तत्व :

(i) कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना।

(ii) ग्राम पंचायतों का गठन एवं उन्हें स्वशासन की इकाई बनाना।

(iii) पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति तथा जनजातियों की शिक्षा एवं आर्थिक हितों का संवर्धन तथा उन्हें शोषण से बचाना।

(iv) नशीली वस्तुओं के प्रयोग पर पाबंदी (औषधियों को छोड़कर)

(v) कृषि और पशुपालन वैज्ञानिक ढंग से करना।

(vi) दुधारू व बोझ ढोने वाले पशुओं की रक्षा एवं नस्ल सुधार करना।

(vii) पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा।

(viii) राष्ट्रीय व ऐतिहासिक महत्व के स्थानों की सुरक्षा।

(ix) लोक सेवा में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को पृथक करने का प्रयास।

(x) सारे देश में दीवानी तथा फौजदारी कानून बनाना।

(3) अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा

(i) अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना।

(ii) राज्यों के मध्य न्याय व सम्मानजनक संबंधों को बनाए रखना।

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय कानून एवं संधियों का आदर करना।

(iv) अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता से निपटाने का प्रयास करना।

उपर्युक्त सभी नीति निदेशक तत्वों से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहयोग मिलेगा। प्रशासन की सफलता का मूल्यांकन इन आधारों पर हो सकेगा। सामाजिक, आर्थिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था हेतु शासन द्वारा राजनैतिक दंगों पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। इससे राष्ट्र निर्माण और विश्वशांति की स्थापना में भी सहयोग मिलेगा। ये संविधान निर्माताओं की पवित्र इच्छाएँ है, सामाजिक एवं आर्थिक आदर्श के सिद्धांत है तथा लोकमत का आईना है।

14.4 मौलिक अधिकार एवं नीति निदेशक तत्वों में अन्तर

मौलिक अधिकार व नीति निदेशक तत्वों में महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित हैं:

(1) मौलिक अधिकारों के पीछे कानूनी शक्ति होती है। नीति निदेशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति होती है। यदि शासन के किसी कानून से नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायालय उसकी रक्षा के लिये उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है। नीति निदेशक तत्वों के विरुद्ध यदि कोई कानून बनता है, तो न्यायालय उसे अवैध घोषित नहीं कर सकता। परन्तु जनमत

का भय होने से इन सिद्धांतों की अवहेलना राज्य आसानी से नहीं कर सकता।

(2) मौलिक अधिकारों की व्यवस्था निषेधात्मक है, जबकि नीति निदेशक तत्व सकरात्मक है। मौलिक अधिकार सरकार को कुछ कार्य करने से रोकते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व सरकार को अपने कर्त्तव्य को पूरा करने का निर्देश देते हैं।

(3) मौलिक अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना है, जबकि नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य आर्थिक सामाजिक प्रजातंत्र की स्थापना है।

(4) मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए है, जबकि नीति निदेशक तत्व सरकार के कर्त्तव्य हैं। ये सरकार के नीति निर्माण एवं व्यवहार के लिये दिये गए निर्देश हैं।

14.5 मौलिक कर्त्तव्य

जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ था तब उसमें सिर्फ मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था, इसमें कर्त्तव्यों की कोई व्याख्या नहीं की गई थी, जबकि अधिकार एवं कर्त्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। केवल मूल अधिकारों की व्याख्या होने से नागरिक अपने अधिकारों के लिये तो जागरूक हो गए, परन्तु कर्त्तव्यों के प्रति उदासीन रहे। इस कमी के पूरा करने के लिये संसद ने सन् 1976 में 42 वे संविधान संशोधन द्वारा एक नया भाग 4 (क) जोड़कर नागरिकों के 11 मौलिक कर्त्तव्यों का उल्लेख किया। जो निम्नलिखित है

1. संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें।
2. उन आदर्शों का सम्मान व अनुसरण करना जिनसे हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई को प्रोत्साहन मिला।
3. भारत की सम्प्रभुता एकता और अखण्डता की रक्षा करना।
4. देश की रक्षा करना और जब आवश्यकता पड़े तो राष्ट्रीय सेवा में भाग लेना।
5. भारत के सभी लोगों के बीच समरसता और भाईचारे की भावना का निर्माण करना।
6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा को बनाए रखना।
7. पर्यावरण का संरक्षण और उसका संवर्धन करना।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जिज्ञासा का विकास करना।
9. सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित करना।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना।
11. 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दिलाना।

मौलिक कर्त्तव्यों का पालन राज्य के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है।

अधिकार और कर्त्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम अधिकारों की प्राप्ति कर्त्तव्यों की पूर्ति के बिना नहीं कर सकते। अगर नागरिक अपने मौलिक कर्त्तव्यों को पूरा करेंगे तो उन्हें अपने मूल अधिकारों की प्राप्ति में सरलता होगी। अगर नागरिक कर्त्तव्यों का पालन नहीं करते तो अव्यवस्था होगी और वातावरण अशान्त होगा। मौलिक कर्त्तव्यों की पूर्ति स्वस्थ सामाजिक वातावरण का निर्माण करती है। संविधान में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्त्तव्यों के बीच कोई कानूनी सम्बन्ध निश्चित नहीं किया गया है। इनकी अवहेलना करने पर दण्ड की व्यवस्था नहीं है परन्तु हमारा राष्ट्र के प्रति यह दायित्व है। मौलिक कर्त्तव्य देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय संपत्ति, व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रगति, देश की सुरक्षा व्यवस्था आदि को सुदृढ़ बनाने, पर्यावरण संरक्षित रखने, राष्ट्रीय आदर्शों का आदर करने एवं सामाजिक समरसता बनाए रखने की प्रेरणाएँ हैं।

14.6 नागरिकों को प्राप्त कानूनी अधिकार

मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त नागरिकों को कुछ विशेष कानूनी अधिकार भी प्राप्त हैं। कानूनी अधिकार वे अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आते, तथापि वे नागरिकों को कानून द्वारा प्रदत्त होते हैं। कानूनी अधिकारों को सरकार कभी भी समाप्त कर सकती है, इसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती। इस श्रेणी के अधिकारों में दो अधिकार प्रमुख हैं – 1. सम्पत्ति का अधिकार, 2. सूचना का अधिकार।

● सम्पत्ति का अधिकार

मूल संविधान में संपत्ति का मौलिक अधिकार भी नागरिकों को प्राप्त था, परन्तु आरम्भ से ही यह अत्यंत विवादास्पद रहा। अत: 44 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जून 1979 से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निरस्त किया गया, यद्यपि अब यह एक कानूनी अधिकार है।

● सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार, लोकतंत्र के मजबूतीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सन् 2005 में भारत सरकार ने 'सूचना का अधिकार अधिनियम–2005' के द्वारा देश के लोगों को किसी भी सरकारी कार्यालय से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया है। देश में विगत कई वर्षों से विकास में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के कई प्रयास किए जाते रहे हैं। पंचायत राज की स्थापना और सार्वजनिक सेवाओं की निगरानी में स्थानीय समुदाय की भागीदारी इसका प्रमुख आयाम है। सार्वजनिक सेवाओं, सुविधाओं और योजनाओं, नियम कायदों के बारे में जानकारी न होने से लोग विकास के कार्यों में भलीभाँति भागीदारी नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब सूचना के अधिकार के द्वारा विकास योजनाओं और सार्वजनिक कार्यों में पारदर्शिता लाई जा सकती है। शासकीय तंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया में पक्षपात की सम्भावना एवं भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

सूचना का अधिकार अधिनियम संबंधी विशेष तथ्य

◆ **सूचना के अधिकार किसे प्राप्त है–** सूचना का अधिकार देश के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। कोई भी नागरिक लोक निकाय से उससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त सभी लोक निकाय अपने दैनिक कार्य–कलापों के संबंध में आवश्यक सूचनाओं को सूचना–पट पर लोगों की जानकारी के लिए प्रदर्शित करते हैं।

◆ **लोक निकाय से आशय –** ऐसे समस्त प्राधिकरण अथवा संस्थाएँ जिसकी स्थापना संसद या विधान मण्डल द्वारा बनाए गए कानून (अधिनियम) के अंतर्गत की गई हो, वे लोक निकाय की श्रेणी में सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त वे परिषद् भी इसमें सम्मिलित किये गए हैं जो स्वशासी अथवा गैर सरकारी हैं किंतु जिन्हें या तो सरकारी अनुदान मिलता है या जिनका नियंत्रण केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इस प्रकार लोक निकाय से आशय – सरकारी, संवैधानिक संस्थाएँ एवं विभागों से है।

सूचना के अधिकार के अन्तर्गत किस प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है?

- सरकार व सरकार के किसी भी विभाग से संबंधित सूचना।
- सरकारी ठेकों, भुगतान, अनुमानित खर्च, निर्माण कार्यों के माप आदि की फोटो प्रतियाँ।
- सड़क, नाली व भवन निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के नमूने।

- निर्माणाधीन अथवा पूर्ण विकास कार्यों का अवलोकन।
- सरकारी दस्तावेजों जैसे ड्राइंग, रिकार्ड पुस्तिका व रजिस्टरों आदि का अवलोकन।
- यदि कोई शिकायत की गई है या कोई आवेदन दिया गया है तो उस पर प्रगति की जानकारी।
- सरकारी परियोजनाओं की जानकारी जिनका क्रियान्वयन कोई भी सरकारी विभाग या स्वयंसेवी संस्था कर रही हो।

सूचना आयोग संबंधित लोक सूचना अधिकारी पर लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए सिफारिश कर सकता है।

इस अधिकार के तहत सरकारी कार्यालयों से कई तरह की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। ग्राम पंचायत, गाँव में स्थित सेवाओं जैसे आँगनवाड़ी, राशन की दुकान, स्वास्थ्य केन्द्र व सरकारी अस्पताल, तहसील कार्यालय, जमीन का रिकॉर्ड, पुलिस थाना, वन विभाग, कृषि विभाग, कृषि उपज मण्डी, बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेल विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, न्यायालय, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, कलेक्टर कार्यालय, एस.पी. ऑफिस, आदि सभी कार्यालयों से किसी भी तरह की जानकारी माँगी जा सकती है अर्थात् गाँवों और शहरों के सभी निकायों से लेकर जनपद, जिला तथा राजधानी में स्थित किसी भी कार्यालय से जानकारी माँगने का अधिकार अब लोगों को प्राप्त है।

◆ **सूचनाएँ प्राप्त करना** - सूचनाएँ दो प्रकार से प्राप्त की जा सकती हैं -

1. **प्रकाशित सूचनाओं द्वारा** - विभाग और शासकीय निकाय समय-समय पर उनसे संबंधित जानकारियाँ प्रकाशित करते हैं, अतः सूचनाएँ उनसे मिल जाती हैं।
2. **आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके** - इस प्रकार सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदक को सादे कागज पर अपना नाम, पता दर्शाते हुए विभाग, शासकीय निकाय के समक्ष प्राधिकारी के सम्मुख आवेदन प्रस्तुत करना होता है। चाहे गए दस्तावेजों की छाया प्रतियाँ भी माँगीं जा सकती हैं। इस हेतु कुछ शुल्क का प्रावधान भी है।

◆ **जानकारी किस रूप में प्राप्त की जा सकती है?**

सूचना के अधिकार के तहत किसी भी सरकारी कार्यालय से जानकारी निम्न रूपों में प्राप्त की जा सकती है -

1. दस्तावेज की फोटोकापी,
2. दस्तावेज एवं आँकड़ों की सीडी, फ्लापी, वीडियो कैसेट की प्रति,
3. प्रकाशन जो संबंधित विभाग द्वारा प्रकाशित किए गए हों,
4. दस्तावेजों का अवलोकन अर्थात् दस्तावेजों को उन्हीं के कार्यालय में पढ़ा जा सकता है।

◆ **सूचना प्रकट किये जाने से छूट**

कुछ सूचनाएँ अथवा जानकारियाँ ऐसी भी होती हैं, जो आम जनता तक नहीं पहुँचाई जा सकती हैं। उनके प्रकट किये जाने से देश की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और आर्थिक तथा वैज्ञानिक हित को हानि पहुँचती है। अतः कुछ सूचनाओं को न देने की छूट दी गई है। निम्नलिखित सूचना देने के लिए सरकार व निकाय बाध्य नहीं है।-

- जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति वैज्ञानिक या आर्थिक हित और विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।
- जो किसी अपराध को करने के लिए उकसाता हो।
- जिसको प्रकट करना किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण द्वारा मना किया गया है जिससे न्यायालय की अवमानना होती हो।
- जिसके प्रकटन से संसद या विधान मंडल के विशेषाधिकार भंग हो सकते हैं।
- जिसके प्रकटन किसी तीसरे पक्षकार (वाणिज्यिक और व्यापारिक) की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान पहुँचता हो।
- किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम अधिकारी को यह न लगे कि ऐसी सूचना के प्रकटन से लोकहित का समर्थन होता है।
- किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना।
- सूचना, जिसके प्रकट करने से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को भय हो।
- सूचना, जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन की सम्भावना हो।
- मंत्रिमंडल के कागज पत्र इसमें सम्मिलित है- मंत्रि परिषद् सचिवों और अन्य अधिकारियो के विचार विमर्श के अभिलेख।

◆ सूचना प्राप्ति शुल्क

गरीबी की रेखा से नीचे निवास करने वाले लोगों के लिए आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, शेष सभी के लिए सूचना प्राप्ति हेतु 10 रू. नगद अथवा उतनी राशि के स्टाम्प पर आवेदन टाईप कर या लिखकर लोक सूचना अधिकारी को दिया जा सकता है। प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष, प्रथम अपील करने का शुल्क 50 रू. व राज्य सूचना आयोग के समक्ष, द्वितीय अपील करने का शुल्क 100 रू. है।

आवेदन जमा कराने के बाद सूचना उपलब्ध करने के संदर्भ में होने वाले व्यय की सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को दी जाती है। सूचना प्राप्ति के आवेदन अथवा अन्य व्यय हेतु ली गई नकद राशि अथवा शुल्क प्राप्ति की रसीद प्रदान की जानी आवश्यक है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा 30 दिवस की समय सीमा में आवेदन का निराकरण किये जाने की व्यवस्था है।

◆ अपील एवं शिकायत पर कार्यवाही एवं अभिसमय

लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना आधी, पूर्णत: सही न दिये जाने पर आवेदक 30 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील कर सकता है। अपीलीय अधिकारी को, अपील प्राप्त होने के सामान्यत: 30 दिन एवं अधिकतम 45 दिन के भीतर कार्यवाही अपेक्षित है। साथ ही इस कार्यवाही की सूचना आवेदक को भी दिया जाना चाहिए। जिस पर 30 दिनों के भीतर कार्यवाही कर आवेदक को सूचित किया जाता है। यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी 30 दिन के भीतर की गई प्रथम अपील पर कार्यवाही की सूचना आवेदक को नहीं देता है तो आवेदक 90 दिनों के अंदर द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में कर सकता है अथवा सूचना आयोग

को पूर्व विवरण सहित शिकायत कर सकता है।

◆ सूचना न देने पर दण्ड

सूचना नहीं देने वाले अधिकारियों को निम्नलिखित स्थितियों में सजा दी जा सकती है –

- लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन लेने से इंकार करना।
- समय सीमा में जानकारी नहीं देना।
- जानबूझ कर गलत, अधूरी व गुमराह करने वाली जानकारी देना।
- माँगी गई सूचना को नष्ट करना।

उपर्युक्त स्थितियों में सूचना आयोग ऐसे लोक सूचना अधिकारियों पर रु. 250/– प्रतिदिन से लेकर अधिकतम रु. 25,000/– तक अर्थदण्ड आरोपित करने का आदेश दे सकता है। इसी प्रकार लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु विभाग प्रमुख को आयोग अनुशंसा भी कर सकता है।

◆ सूचना आयोग का गठन

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय सूचना आयोग तथा प्रदेश स्तर पर राज्य सूचना आयोग गठन का प्रावधान है। राज्य सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त अधिक से अधिक 9 और सूचना आयुक्त नियुक्त करने का प्रावधान है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। इस समिति में विधानसभा में विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक मंत्री भी होते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

राज्य सूचना आयोग के कार्य व अधिकार

1. राज्य सूचना आयोग का कार्य सूचना के अधिकार को लागू करवाना है। आयोग लोगों से सूचना प्राप्त करने में आने वाली अड़चनों को दूर करता है और इससे संबंधित शिकायतों/अपीलों की सुनवाई करता है।
2. आयोग सूचना के अधिकार से संबंधित किसी भी प्रकरण की जाँच के आदेश दे सकता है।
3. आयोग के पास सिविल कोर्ट से संबंधित समस्त अधिकार हैं। इसके अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को समन जारी करना, सुनवाई के दौरान उसकी हाजिरी सुनिश्चित करना तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने के आदेश देने जैसे अधिकार प्रमुख हैं।

सूचना के अधिकार का सैद्धांतिक आधार

यह अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है क्योंकि यह प्रमुख रूप से तीन सिद्धांतों पर आधारित है। ये तीन सिद्धांत निम्नलिखित है–

1. जवाबदेही का सिद्धांत– हमारे शासन का स्वरूप लोकतांत्रिक है। इससे सरकारें लोकहित के लिए उत्तरदायी ढंग से कार्य करती हैं। मात्र किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के लाभ के लिए कार्य नहीं किया जाना चाहिए। अत: सरकार तथा इससे संबंधित समस्त संगठनों एक लोक प्रधिकरणों को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। जनता को इनके कार्यों की जानकारी देना आवश्यक है।

2. **सहभागिता का सिद्धांत** – एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सरकारों द्वारा अधिकांश कार्य जनता के लिए और जनता के सहयोग से किया जाता है। योजना निर्माण की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी होना आवश्यक है ताकि लोगों द्वारा समय रहते जनता के हित में योजनाओं में वांछित परिवर्तन एवं संशोधन किया जा सके।

3. **पारदर्शिता का सिद्धांत** – सूचना के अधिकार का तीसरा व अंतिम आधार है– पारदर्शिता का सिद्धांत। सार्वजनिक धन एवं समय के दुरूपयोग, भ्रष्टाचार, गबन आदि को रोकने के लिए सरकारी काम–काज में पारदर्शिता होना आवश्यक है।

पारदर्शिता से भ्रष्ट लोगों पर अंकुश लगाया जा सकता है और ईमानदार लोग निर्भय एवं निष्पक्ष होकर काम कर सकेंगे।

सूचना के अधिकार का महत्व

प्रजातंत्र में जनता का शासन, जनता के लिए, तथा जनता के द्वारा संचालित किया जाता है। जानकार नागरिक एवं सूचनाओं की पारदर्शिता प्रजातंत्र की बुनियादी आवश्यकता होती है। सूचना के अधिकार का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट हो सकता है –

1. **मौलिक अधिकारों के उपयोग को प्रभावशाली बनाना** – मौलिक अधिकारों में सूचना का अधिकार भी निहित है। यह भाषण एवं अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। सूचना एवं जानकारी के अभाव में किसी भी व्यक्ति को सार्थक ढंग से अपनी राय बनाना या अभिव्यक्त करना संभव नही है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान A21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन के अधिकार से भी जोड़ा है। जानने के अधिकार के बिना जीने का अधिकार अधूरा रह जाता है।

2. **शासन को उत्तरदायी बनाना**– यह अधिकार शासन को उत्तरदायी भी बनाता है, क्योंकि यह जवाबदेही के सिद्धांत पर आधारित है। जब तक सार्वजनिक एवं अन्य निकाय अपने कार्यों, आय–व्ययों के जवाब यदि जनता को देने के लिए बाध्य नहीं होंगे तो उनके कार्यों में शिथिलता, भ्रष्टाचार गबन आदि के अवसर बहुत अधिक बढ़ जाएंगे एवं जनता के समय एवं धन का दुरूपयोग होता रहेगा।

3. **शासन को पारदर्शी बनाना** – इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं शासन में पारदर्शिता लाना। जनता के प्रतिनिधि अपने अधिभारों का उपयोग उचित ढ़ंग से कर रहे है या नहीं, पैसों का उपयोग सही ढ़ंग से हो रहा है या नहीं इन तथ्यों की जानकारी जनता को होना चाहिए। इससे सार्वजनिक धन के माध्यम से जन–कल्याण का उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। सूचना के अधिकार से पारदर्शिता होगी और सार्वजनिक धन को सावधानी से प्रयोग करने का दबाव बनेगा।

4. **शासन व्यवस्था में नागरिकों की सहयोगिता बढ़ाना** – भारतीय संविधान सहभागी लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित है। इस हेतु नागरिकों द्वारा चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि का चयन किया जाता है, परंतु पिछले काफी समय से नागरिकों की सहभागिता केवल मताधिकार तक ही सीमित रह गई है। इसके पीछे आवश्यक सूचनाओं के अभाव में नागरिकों की निष्क्रियता एक प्रमुख कारण रहा है। अत: शासन व्यवस्था में नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने में यह अधिकार एक प्रभावी अस्त्र है।

5. **भ्रष्टाचार पर रोक** – सूचना का अधिकार बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने का एक सशक्त अस्त्र है। पारदर्शिता एवं जवाबदेही के सिद्धांत पर आधारित होने के कारण भ्रष्ट आचरण करने वाला व्यक्ति तुरंत पहचान लिया जाएगा एवं उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। इसी भय के कारण उत्तरदायी लोग गलत कामों

से दूर होंगे और सुशासन की परिकल्पना को भी साकार कर सकेगें हैं।

6. शासकीय योजनाओं को सफल बनाना – योजनाओं को सफल बनाने में भी सूचना के अधिकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। शासकीय योजनाओं की सफलता मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करती है – एक योजना का क्रियान्वयन सही ढंग से निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो जाए एवं दूसरा, योजना का लाभ वास्तविक लाभार्थी तक पहुँचाया जा सके। इन दोनों ही उद्देश्यों की पूर्ति में सूचना का अधिकार एक कारगार अस्त्र है। इससे शासकीय प्रक्रियाओं के अनावश्यक बोझ से भी बचा जा सकता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सूचना का अधिकार एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अधिकार है।

संविधान – देश का सर्वोच्च कानून। इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं।

संविधान संशोधन – देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव।

पंथनिरपेक्ष – नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वंतत्रता है, लेकिन कोई धर्म अधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है।

आरक्षण – भेदभाव के शिकार, वंचित और पिछड़े लोगों और समुदायों के लिए सरकारी नौकरियों में कुछ शैक्षिक संस्थाएं पद एवं सीटें आरक्षित करने की नीति।

रिट – उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश।

लोकनिकाय – सरकारी, संवैधानिक संस्थाएँ एवं विभाग

सूचना सामग्री – कोई भी सामग्री जो अनेक रूप में हो सकती है जैसे रिकार्ड, रिपोर्ट, नमूना, माँडल आदि जिससे आवेदक को जानकारी प्राप्त होती है।

अभ्यास

सही विकल्प चुनकर लिखिए :

1. 44 वे संशोधन के द्वारा किस मौलिक अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है–

   (i) सम्पत्ति का अधिकार (ii) स्वतंत्रता का अधिकार

   (iii) समानता का अधिकार (iv) संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार

2. इसमें से कौन–सा कार्य बाल श्रम की श्रेणी में आता है–

   (i) 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से होटलों में, निर्माण कार्य में या खदानों में कार्य कराना।

(ii) 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का घूमना और शिक्षा प्राप्त करना

(iii) 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के खेल का कार्य

(iv) 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के शारीरिक व्यायाम करना

3. इनमें से कौनसा अधिकार स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से संबधित नहीं है-

(i) भाषण की स्वतंत्रता (ii) उपाधियों का अन्त

(iii) निवास की स्वतंत्रता (iv) भ्रमण की स्वतंत्रता

4. किस लेख द्वारा उच्चतम या उच्च न्यायालय किसी भी अभिलेख को अपने अधीनस्थ न्यायालय से अपने पास मंगा सकता है-

(i) बंदी प्रत्यक्षीकरण (ii) उत्प्रेषण

(iii) अधिकार पृच्छा (iv) परमादेश

5. 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस मौलिक अधिकार के अन्तर्गत आता है।

(i) समानता का अधिकार (ii) संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार

(iii) स्वतंत्रता का अधिकार (iv) संवैधानिक उपचारों का अधिकार

6. मौलिक अधिकारों का संरक्षण निम्नलिखित में से कौन करता है-

(i) संसद (ii) विधानसभाएँ

(iii) सर्वोच्च न्यायालय (iv) भारत सरकार

7. सूचना समय पर न मिलने पर सबसे पहले अपील की जाती है-

(i) विभाग प्रमुख (ii) लोक सूचना अधिकारी

(iii) सूचना आयोग (iv) मुख्यमंत्री

8. राज्य के नीति निदेशक तत्व निम्न में से क्या है-

(i) कानून द्वारा बन्धनकारी हैं। (ii) न्याय योग्य हैं।

(iii) राज्य के लिये रचनात्मक निर्देश हैं। (iv) न्याय पालिका के आदेश हैं।

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. मौलिक अधिकारों के पीछे ..... की शक्ति होती है।
2. सूचना का अधिकार बढ़ते ..... को रोकने का सशक्त अस्त्र है।
3. संविधान के अनुच्छेद ..... के द्वारा प्रत्येक नागरिक को विधि के समक्ष समानता और संरक्षण प्राप्त है।
4. संविधान में अस्पृश्यता ..... अपराध हैं।
5. संविधान के 44 वें संशोधन द्वारा ..... के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है।

अतिलघुत्तरीय प्रश्न

1. कानून के समक्ष समानता का क्या अर्थ है?

2. मौलिक अधिकार के प्रकारों के नाम लिखिए।
3. संविधान में अस्पृश्यता का अन्त करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है?
4. सूचना का अधिकार किसे प्राप्त हैं?
5. सूचना के अधिकार के किन सिद्धांतो पर आधारित है?
6. नीति निदेशक तत्व किसके लिये निर्देश हैं?

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकारों में क्या अन्तर हैं, स्पष्ट करिए।
2. मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण किस प्रकार प्राप्त है? समझाइए।
3. मौलिक अधिकार और मौलिक कर्त्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उक्त कथन को समझाइए।
4. किस प्रकार की सूचना देने के लिए सरकार बाध्य नहीं है? कोई चार छूट बताइए।
5. अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने हेतु नीति निदेशक तत्वों में क्या निर्देश हैं? लिखिए।
6. स्वतंत्रता के अधिकार से हमें कौन-कौनसी स्वतंत्रताएँ प्राप्त हुई हैं?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. मौलिक अधिकारों से आशय व उसके महत्व को स्पष्ट करिए।
2. स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को कौनसी स्वतंत्रताएँ प्राप्त हैं?
3. संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अन्तर्गत कौनसे प्रमुख लेख (रिट्) न्यायालय जारी करते हैं?
4. सूचना के अधिकार के कोई दो सैद्धांतिक आधारों वर्णन कीजिए साथ ही लिखिए कि यदि सूचना समय पर न मिले तो क्या करना चाहिए?
5. सूचना के अधिकार का महत्व स्पष्ट करते हुए सूचना आयोग गठन के बारे में लिखिए।
6. मौलिक कर्त्तव्य किसे कहते हैं? संविधान में वर्णित मौलिक कर्त्तव्यों का वर्णन करिए।
7. नीति निदेशक तत्वों के प्रकार स्पष्ट करते हुए उनका वर्णन करें।

प्रायोजना कार्य

1. आप अपने दैनिक जीवन में क्या-क्या स्वतंत्रता अनुभव करते हैं? उनकी सूची बनाएँ और देखिए कि उनसे आपके विकास में क्या सहयोग मिल रहा है। इस तरह से आप अपने स्वतंत्रता संबंधी मौलिक अधिकारों को जानने का प्रयत्न करें। इस विवरण को प्रोजेक्ट के रूप में तैयार करिए।
2. अपने मौलिक कर्त्तव्यों की जानकारी का एक चार्ट बनाकर अपने कक्ष में लगाएँ। एक बार उसे पढ़कर चिंतन करें कि आपने कितने कर्त्तव्यों का पालन आज किया है। इस तरह अपने सभी कर्त्तव्यों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा अपने मित्रों को भी दें।